मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या–411/2021 "देवेश चन्द्रा बनाम स्टेट आफ उ0प्र0" में दिनांक 31.01.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में बिन्दुबार अनुपालन आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या 411/2021 "देवेश चन्द्रा बनाम स्टेट आफ उ0प्र0" में दिनांक 31.01.2022 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् है–

1- Grievance in the application by the applicant Devesh Chandra is against throwing and piling of garbage under Kila River Bridge, Bareilly, Uttar Pradesh which ultimately merges into Ganga River. It is submitted that the said garbage is set on fire which is causing air pollution in the area. It is submitted that Kali River stands also divided because of garbage dumped into it. It is further submitted that the shopkeepers have also built their shops over the bridge.

2- Having regard to the seriousness of the allegations, it appears necessary to ascertain the factual position in the matter through a joint Committee of the State PCB, District Magistrate, Bareilly and Municipal Commissioner-Bareilly, (Uttar Pradesh). The State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance. The joint Committee may meet within four weeks and undertake site visit and look into the grievance of the applicant. Factual and action taken report may be furnished within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

List the matter for consideration on 20/05/2022.

A copy of this order, along with a copy of the complaint, be forwarded to the State PCB, District Magistrate, Bareilly and Municipal Commissioner-Bareilly (Uttar Pradesh) by e-mail for compliance.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या–411/2021 "देवेश चन्द्रा बनाम स्टेट आफ उ0प्र0" में दिनांक 31.01.2022 को पारित आदेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, महोदय बरेली के आदेश संख्या 1118/ओ0ए0 नं0 411/2021/2022 दिनांक 15.03.2022 द्वारा नगर आयुक्त, नगर निगम बरेली, नगर मजिस्ट्रेट, बरेली एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली की संयुक्त टीम गठित की गयी **(संलग्नक–1)**।

उक्त आदेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु कृत कार्यवाही की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत् है–

1. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के बिन्दु संख्या–1 के अनुपालन में शिकायतकर्ता श्री देवेश चन्द्रा द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को प्रेषित शिकायत दिनांक 28.06.2021 के निराकरण हेतु शिकायती स्थल किला नदी रोड ब्रिज, बरेली पर एकत्रित गार्वेज डम्पिंग का नगर निगम, बरेली एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा सर्वेक्षण दिनांक 03.03.2022 को किया गया। सर्वेक्षण के दौरान शिकायती स्थल किला नदी रोड ब्रिज, बरेली के तट पर स्थानीय दुकानदारों इत्यादि द्वारा फेका गया गार्वेज किला नदी के किनारे दोनों ब्रिज के मध्य एकत्रित पाया गया, किला नदी के ओल्ड ब्रिज के दोनों पैरापिट क्षतिग्रस्त पाये गये तथा मौके पर किला नदी के ब्रिज के किनारे पर 2–3 फल एवं सब्जी विक्रेताओं द्वारा ठेले लगाकर फल एवं सब्जी विक्रय का कार्य किया जाता पाया गया फोटोग्राफ्स संलग्न है **(संलग्नक–2)**। उक्त गार्वेज के निस्तारण किये जाने हेतु तथा पुल के किनारों पर अतिक्रमण हटाये जाने एवं योजनाबद्ध रूप से किला नदी का पैरापिट सुद्रढ़ीकरण/सौन्द्रयीकरण कराये जाने हेतु मौके पर नगर निगम, बरेली के अधिकारियों द्वारा निर्णय लिया गया।
2. नगर निगम बरेली द्वारा किला नदी रोड ब्रिज बरेली के आस–पास स्थित गार्वेज के एकत्रण/निस्तारण का कार्य प्रारम्भ करते हुये उक्त क्षेत्र में डम्प गार्वेज को एकत्रित कर नगर निगम बरेली की लिगेसी वेस्ट डिस्पोजल साइट स्थित बाकरगंज में कुल लगभग 04 मी0टन गार्वेज एकत्रित कर निस्तारित किया गया। प्रश्नगत स्थल का पुनः निरीक्षण दिनांक 08.03.2022 एवं 31.03.2022 को किया गया एवं मौके पर पाया गया कि किला नदी ब्रिज के किनारों पर अतिक्रमण कर स्थित सब्जी एवं फल विक्रेताओं को हटाने की कार्यवाही नगर निगम, बरेली द्वारा की गयी, मौके पर लिये गये फोटोग्राफ्स **संलग्नक–3 एवं संलग्नक–4** पर संलग्न है।

3. सन्दर्भित शिकायती स्थल किला नदी ब्रिज बरेली के आस–पास गार्वेज डम्पिंग को प्रतिबन्धित किये जाने के दृष्टिगत नगर निगम, बरेली द्वारा उक्त क्षेत्र के लो–लैण्ड एरिया में मिट्टी का भराव करते हुये सुद्रढ़ीकरण/सौन्द्रयीकरण का कार्य किया जा रहा है तथा नदी पुल के दोनों टूटे हुये किनारों को ईंटो से पक्का करते हुये सुद्रढ़ीकरण/सौन्द्रयीकरण किया जाता पाया गया। उक्त सम्बन्ध में नगर निगम, बरेली द्वारा किये गये प्रस्तावित कार्यों का विवरण सम्बन्धी आख्या प्रस्तुत की गयी, जिसके अनुसार शिकायती स्थल के सुद्रढ़ीकरण/सौन्द्रयीकरण हेतु कुल रूपये 11.87 लाख व्यय किया जाना प्रस्तावित है। नगर निगम, बरेली द्वारा प्रेषित आख्या संलग्न है **(संलग्नक–5)**।
4. शिकायती स्थल, किला नदी रोड ब्रिज, बरेली का संयुक्त निरीक्षण जिलाधिकारी, बरेली द्वारा गठित संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 21.04.2022 को किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि किला नदी रोड ब्रिज के आस–पास पूर्व में एकत्रित गार्वेज को हटा कर भूमि भराव का कार्य, किला नदी ब्रिज के पैरापिट मरम्मत का कार्य, नदी ब्रिज पर व्यू कटर लगाने का कार्य तथा लैन्ड स्केपिंग का कार्य बेन्च व पॉथवे सहित करते हुये प्रश्नगत स्थल का सुद्रढीकरण/सौन्द्रयीकरण का कार्य किया जाता पाया गया। मौके पर व्यू कटर लगाये जाने से नदी में कूड़ा निस्तारण न किये जाने सम्बन्धी एक प्रभावी कार्यवाही है तथा मौके पर निगरानी हेतु नगर निगम, बरेली का एक कर्मचारी भी तैनात है तथा नगर निगम, बरेली द्वारा नदी में कूड़ा निस्तारण न किये जाने का चेतावनी बोर्ड भी लगाया गया। संयुक्त निरीक्षण के दौरान लिये गये फोटोग्राफ्स संलग्न है **(संलग्नक–6)**।
5. सन्दर्भित शिकायती स्थल किला नदी ब्रिज बरेली का निरीक्षण दिनांक 06.05.2022 एवं 07.05.2022 को किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अतिक्रमण किये गये स्थल/गार्वेज एकत्रित स्थल पर पार्क विकसित कर बेन्च, बाउण्ड्रीवाल व वृक्षारोपण इत्यादि का कार्य किया गया तथा किला नदी ब्रिज के पैरापिट पर सफेद पेण्ट कराकर व्यू कटर का कार्य पूर्ण करते हुये प्रश्नगत स्थल का सुद्रढीकरण/सौन्द्रयीकरण का कार्य किया गया। निरीक्षण के दौरान लिये गये फोटोग्राफ्स संलग्न है **(संलग्नक–7)**।
6. शिकायतकर्ता श्री देवेश चन्द्रा की मंशा के अनुरूप शिकायती स्थल (किला नदी के ब्रिज) पर सुद्रढीकरण/ सौन्द्रयीकरण का कार्य कराये जाने के दृष्टिगत ओ0ए0 संख्या 411/2021 ''देवेश चन्द्रा बनाम स्टेट आफ उ0प्र0'' को समाप्त किये जाने हेतु मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को सम्बोधित एवं नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, बरेली को पृष्ठांकित पत्र दिनांक 26.04.2022 प्रेषित किया गया है, जो कि संलग्न है **(संलग्नक–8)**।
7. उपरोक्त से स्पष्ट है कि सन्दर्भित वाद संख्या 411/2021 ''देवेश चन्द्रा बनाम स्टेट आफ उ0प्र0'' में पारित आदेश दिनांक 31.01.2022 का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु नगर निगम, बरेली द्वारा शिकायती स्थल पर डम्प किये गये गार्वेज को हटा कर शिकायती स्थल पर सुद्रढीकरण/सौन्द्रयीकरण का कार्य किया गया, जिससे कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या– 411/2021 ''देवेश चन्द्रा बनाम स्टेट आफ उ0प्र0'' में याचिकाकर्ता श्री देवेश चन्द्रा की शिकायत का समाधान होना स्वाभाविक है।

उपरोक्त बिन्दुवार आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(सुनील सिंह चौहान)
वैज्ञानिक सहायक
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
बरेली

(शशि बिन्दकर)
पर्यावरण अभियंता
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
बरेली

(संजीव प्रधान)
पर्यावरण अभियंता
नगर निगम
बरेली

(रोहित सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
बरेली

(राजीव पाण्डेय)
नगर मजिस्ट्रेट
बरेली

संलग्नक – 1

कार्यालय जिलाधिकारी, बरेली

सन्दर्भ संख्याः– 1118 /O.A.No. 411/2021/2022 दिनांक– 15/03/2022

आदेश

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0 411/2021 "देवेश चन्द्रा बनाम स्टेट आफ उ0प्र0" में दिनांक 31.01.2022 को जारी आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु निम्नानुसार संयुक्त समिति गठित की जाती है–

1. नगर आयुक्त, नगर निगम, बरेली/नामित सदस्य।
2. नगर मजिस्ट्रेट बरेली/नामित सदस्य।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली/नामित सदस्य।

उक्त संयुक्त समिति को निर्देशित किया जाता है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुसार संदर्भित किला नदी में गार्वेज से हो रहे प्रदूषण की तत्काल जांच कर निर्धारित समयान्तर्गत सुनिश्चित कराते हुये, कृत कार्यवाही की आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली की ई–मेल judicial-ngt@gov.in पर निर्धारित समयान्तर्गत प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

(शिवाकान्त द्विवेदी)
जिलाधिकारी
बरेली

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित।

1. नगर आयुक्त, नगर निगम, बरेली।
2. नगर मजिस्ट्रेट, बरेली।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली को इस निर्देश के साथ कि संयुक्त समिति के सदस्यों से समन्वय स्थापित कर कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें ।

जिलाधिकारी
बरेली

3/11

संलग्नक - 2

दिनांक–03.03.2022 को संयुक्त निरीक्षण के दौरान लिये गये फोटोग्राफ्स

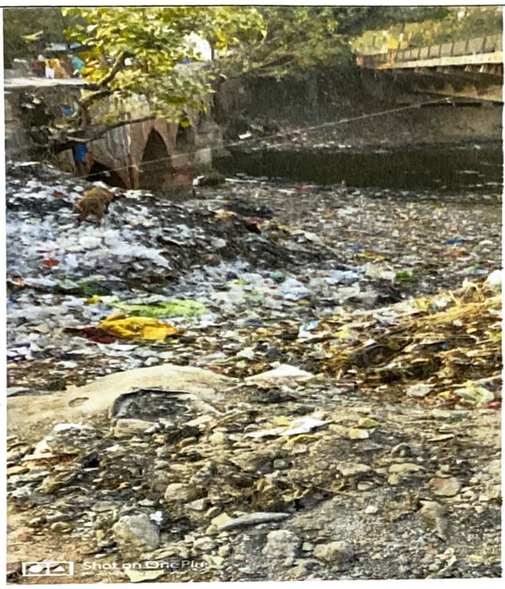

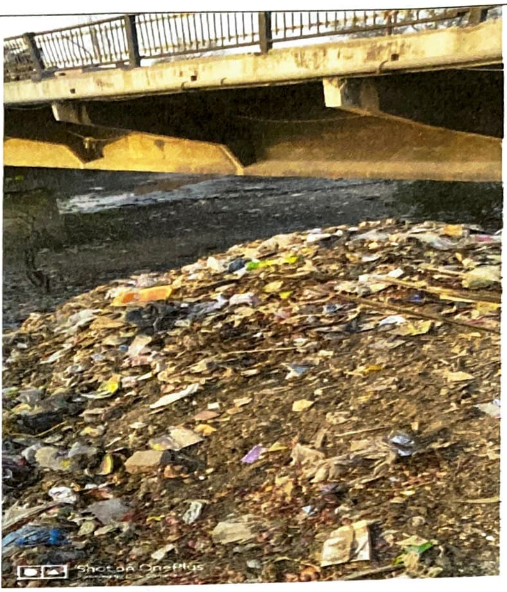

संलग्नक – 03

दिनांक–08.03.2022 को संयुक्त निरीक्षण के दौरान लिये गये फोटोग्राफ्स

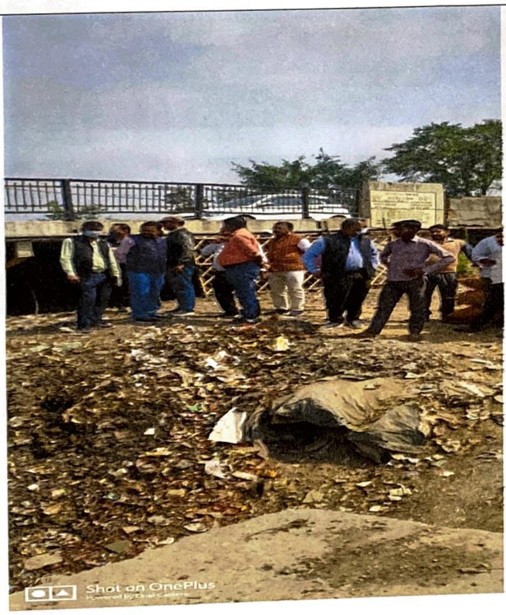

संलग्नक - 4

दिनांक–31.03.2022 को संयुक्त निरीक्षण के दौरान लिये गये फोटोग्राफ्स

संलग्नक – 5

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ०ए० सं० 411/2021 देवेश चन्द्रा बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० में दिनांक 31.01.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में किला नदी पुल पर सौन्दर्यीकरण/सद्रणीकरण/अतिक्रमण हटाने संबंधी कृत कार्यवाही की आख्या :–

उपरोक्त ओ०ए० स० 411/2011 में पारित आदेशों के अनुपालन में नगर निगम बरेली द्वारा किला नदी पुल के सौन्दर्यीकरण/सुद्रणीकरण तथा नदी पुल के किनारे पर एकत्रित कूड़ा कचरा तथा अतिक्रण को हटाने के संबध में की गयी कार्यवाही की आख्या निम्नवत् है :–

क0सं0	कार्य का प्रकार	कृत कार्यो का विवरण	व्यय रू0 में	अभ्युक्ति
01	नदी सफाई का कार्य	बंधा लगाकर (आधे–आधे भाग पर) नदी सफई	265000/–	पूर्ण
02	किला नदी पुल की पैरापिट मरम्मत का कार्य	पुरानी क्षतिग्रस्त पैरापिट की मरम्मत	239000/–	पूर्ण
03	किला नदी पुल पर व्यूकटर लगाने का कार्य	आयरन पाईप द्वारा शीट सहित व्यू कटर + लैंड स्कैपिंग हेतु आयरन शीट फन्सिंग	372000/–	80 प्रतिशत पूर्ण
04	लैंड स्कैपिंग का कार्य बेंच व पाथवे सहित	लैंड स्कैपिंग + बैंच + पाथवे + बाउन्ड्री की ग्रिल	286000/–	80 प्रतिशत पूर्ण
05	अन्य कार्य	प्लाण्टेशन, बोर्ड आदि	25000/–	80 प्रतिशत पूर्ण
		योग	1187000/– जी0एस0टी अतिरिक्त	

- प्रगमि में समस्तम कार्य दिनांक 30.04.2022 तक पूर्ण हो जायेगें।

(मुकेश कुमार शाक्य)
सहायक अभियन्ता
नगर निगम बरेली

(संजीव प्रधान) 27/04/22
अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम बरेली

संलग्नक - 6

दिनांक–21.04.2022 को संयुक्त निरीक्षण के दौरान लिये गये फोटोग्राफ्स

संलग्नक-7

अद्यतन में दिनांक 06.05.2022 एवं 07.05.2022 को लिये गये फोटोग्राफ्स

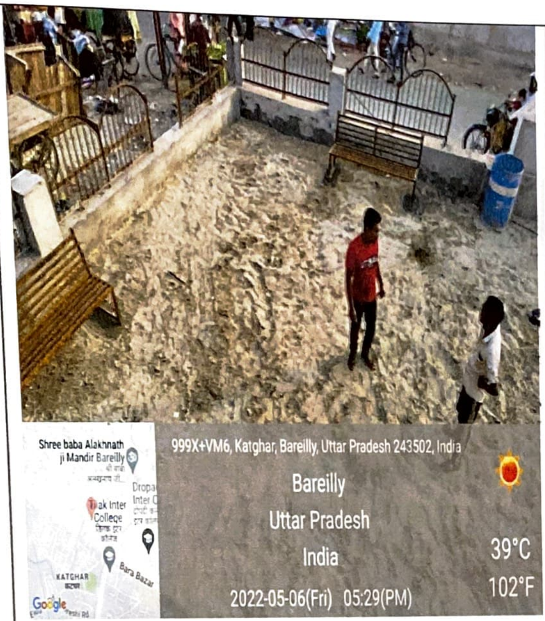

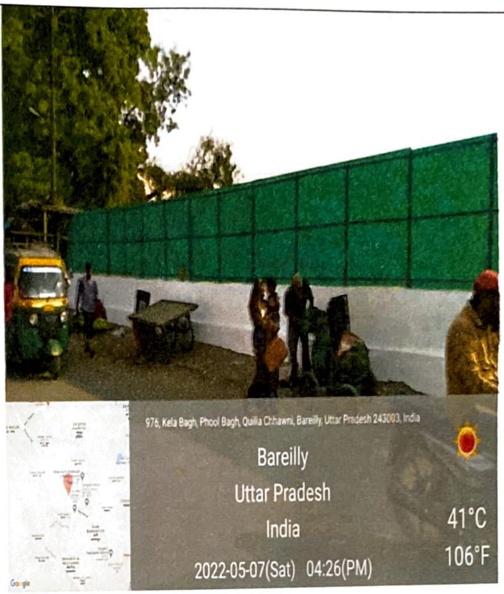

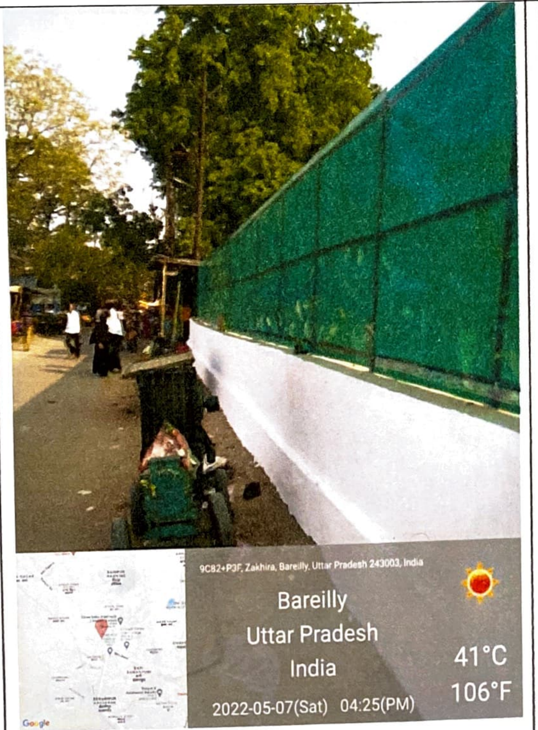

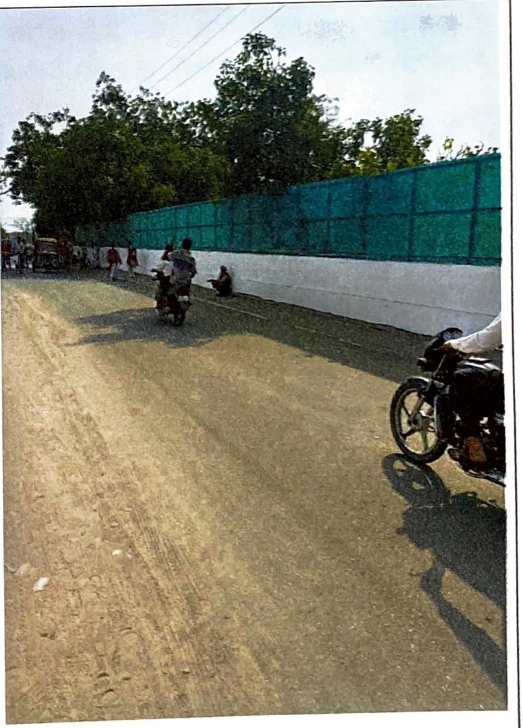

संलग्नक – 8

कार्यालय पर्यावरण अभियन्ता नगर निगम, बरेली

पत्रांक :–२७८ /पर्या0अभि0 / 22–23 दिनांक 02 मई 2022

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
क्षेत्रीय कार्यालय 1219/1ए ई– ब्लाक
राजेन्द्र नगर बरेली।

विषय :–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, (एन0जी0टी0) को प्रेषित शिकायत दिनांक 28.06.21 के कम में ओ0ए0 सं0 411/2021 देवेश चन्द्रा बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 को समाप्त किये जाने के संबंध में।

कृपया उपरोक्त विषयक श्री देवश चन्द्र सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा पत्र दिनांक 26.04.2022 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि–

"बरेली नगर निगम के वार्ड 31 कटघर क्षेत्र में किला ओवर ब्रिज की 170 वर्ष पुरानी पुलिया की मरम्मत एवं किला नदी में कूड़ा डालने एवं कूड़े में आग की शिकायत सीएम पोर्टल पर एवं मा0 एन0जी0टी0 में की गयी है। तदोपरान्त नगर निगम बरेली द्वारा शिकायत दिनांक 28.06.2021 में उल्लिखित सभी बिन्दुओं पर समाधान कर दिया गया है और समाधान से मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। तथा ओ0ए0 सं0 411/2021 देवेश चन्द्रा बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 को समाप्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।"

उक्त के कम में श्री देवेश चन्द्र का पत्र इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार

पर्यावरण अभियन्ता
नगर निगम बरेली।

प्रतिलिपिः–

01. नगर आयुक्त महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

पर्यावरण अभियन्ता
नगर निगम बरेली।

सेवा में

आदरणीय चेयरपर्सन महोदय,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0)
नई दिल्ली।

विषय— मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) को प्रेषित शिकायत दिनाक—28.06.2021 के कम में ओ0ए0 सं0—411/2021 देवेश चन्द्रा बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

अवगत कराना है की बरेली नगर निगम के वार्ड 31 कटघर क्षेत्र में किला ओवरब्रिज की 170 बर्ष पुरानी पुलिया की मरम्मत एवम किला नदी में कूड़े डालने एवम कूड़े में आग की शिकायत सीएम पोर्टल पर एवं मा0 एन0जी0टी0 में मेरे द्वारा की गई थी।

मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा अद्योहस्क्षारी की शिकायत के निराकरण हेतु ओ0ए0 सं0—411/2021 "देवेश चन्द्रा बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0" के अन्तर्गत दिनाक—31.01.2022 को शिकायत के निराकरण सम्बन्धी आदेश पारित किये गये है।

तदोपरान्त उपरोक्त शिकायत के निराकरण हेतु नगर निगम बरेली द्वारा किला नदी के पुल की साइड वाल की ब्रिक/आर0सी0सी0 से मरम्मत कराकर पक्का कराया गया तथा नदी मे कूडा डालने से रोकने के लिये पुल की साइड वॉल पर लोहे के एगल लगवा कर दोनो तरफ जाल/चादर लगाये जाने का कार्य प्रगति पर है।

इस प्रकार नदी में कूड़े डालने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए है। नदी के साइड में कूडा डालने वाली जगह पर वाउण्ड्रीवॉल/गेट लागवाकर वृक्षारोपण करते हुये छोटा सा पार्क भी बनाया जा रहा है।

नगर निगम बरेली द्वारा मेरी शिकायत दिनाक—28.06.2021 में उल्लिखित सभी बिन्दुओ पर समाधान कर दिया गया है और उस समाधान से मैं पूर्ण संतुष्ट हूं।
अत: आपसे सादर अनुरोध है कि ओ0ए0 सं0—411/2021 देवेश चन्द्रा बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 को समाप्ति के आदेश पारित करने की महान् कृपा करे।

धन्यवाद सहित सादर!

Env. engine
प्रकरण के आ. का करें

दिनांक 26/04/2022

भवदीय,

26/04/2022

देवेश चन्द्र
(सामाजिक कार्यकर्ता)
किला रेलवे फाटक
किला बरेली यूपी
मो0 नं0—8909417547

प्रतिलिपि— नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, बरेली की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

देवेश चन्द्र
(सामाजिक कार्यकर्ता)